ई-मेल

संख्या-528 /एक-10-2019-12(34)/03 टीसी-।

प्रेषक,
सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ:: दिनांक : 08 नवम्बर, 2019

विषयः वर्ष 2019–20 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019–20 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08 अप्रैल,2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं0–3(क) के प्राविधान–राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय के लिये रू0 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से 350 तहसीलों हेतु रू0 17,50,00,000/–(रूपये सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) एवं अलाव जलाने हेतु रू0 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) प्रति तहसील की दर से 350 तहसीलों हेतु रू0 1,75,00,000/–(एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) अर्थात् कुल रू0 19,25,00,000/– (रूपये उन्नीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मण्डल का नाम	जनपद का नाम		तहसीलों की संख्या	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि	अलाव हेतु आवंटित धनराशि	कुल धनराशि
1–सहारनपुर	1	सहारनपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	2	मुजफ्फरनगर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	3	शामली	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
2– मेरठ	4	मेरठ	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	5	हापुड़	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	6	गाजियाबाद	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000

	7	बुलन्दशहर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	8	गौतमबुध्द नगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	9	बागपत	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	10	आगरा	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
3–आगरा	11	मथुरा	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	12	फिरोजाबाद	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	13	मैनपुरी	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	14	अलीगढ़	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
4– अलीगढ़	15	एटा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	16	कासगंज	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	17	हाथरस	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	18	बरेली	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	19	बदायूं	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
5–बरेली	20	शाहजहांपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	21	पीलीभीत	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	22	मुरादाबाद	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	23	रामपुर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
6–मुरादाबाद	24	बिजनौर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	25	अमरोहा	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	26	सम्भल	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	27	कानपुर नगर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	28	कानपुर देहात	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
7–कानपुर	29	इटावा	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	30	फर्रूखाबाद	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	31	कन्नौज	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	32	औरैया	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	33	प्रयागराज	8	40,00,000	4,00,000	44,00,000
8–प्रयागराज	34	फतेहपुर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	35	प्रतापगढ़	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	36	कौशाम्बी	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
9–झांसी	37	झांसी	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	38	ललितपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	39	जालौन	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
10–चित्रकूटधाम	40	हमीरपुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	41	महोबा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	42	बांदा	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	43	चित्रकूट	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
11–वाराणसी	44	वाराणसी	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	45	जौनपुर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	46	गाजीपुर	4	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	47	चन्दौली	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
12–मिर्जापुर	48	मिर्जापुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	49	सोनभद्र	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	50	संत रविदास नगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
13– आजमगढ़	51	आजमगढ़	8	40,00,000	4,00,000	44,00,000
	52	मऊ	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000

	53	बलिया	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
14–गोरखपुर	54	गोरखपुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	55	महराजगंज	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	56	देवरिया	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	57	कुशीनगर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
15–बस्ती	58	बस्ती	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	59	सिद्धार्थनगर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	60	संत कबीरनगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
16–लखनऊ	61	लखनऊ	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	62	उन्नाव	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	63	रायबरेली	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	64	सीतापुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	65	हरदोई	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	66	खीरी	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
17–देवीपाटन	67	गोण्डा	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	68	बहराइच	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	69	बलरामपुर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	70	श्रावस्ती	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
18–अयोध्या	71	अयोध्या	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	72	सुल्तानपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	73	बाराबंकी	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	74	अम्बेडकरनगर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	75	अमेठी	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
			350	**17,50,00,000**	**1,75,00,00**	**19,25,00,000**

(1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्यय व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–08–शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाईड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाये।

(3) सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेंसी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य **हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित पोषित एवं प्रमाणित** संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–221/18–2–2019–12(एस0पी0)/2010, दिनांक–24.7.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उ0प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उ0प्र0 खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया विकसित करेगा।

(5) क्रय किया जाने वाले कम्बलों का दर पूर्व में निर्धारित दर रूपये 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए तथा इन कम्बलों में ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(6) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिए नहीं है।

(7) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 8.4.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदो के अनुसार किया जायेगा।

(8) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(9) निर्बल,निराश्रित एवं आसहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतिक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतिक्षा सूची से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरूष/महिला, निराश्रित एवं आसहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक–01 दिसम्बर, 2019 तक चिन्हित कर लिया जाय तथा दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 तक क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा। रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

(10) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।

(11) निशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(12) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(13) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(14) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति–युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हो।

(15) कम्बलों का वितरण एवं आलाव जलाने की अद्यावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोलरूम के फैक्स सं0–0522–2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किये जाने के साथ राहत आयुक्त संगठन के ई–मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(16) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(17) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को तुरन्त उपलबब्ध कराया जाय।

(18) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या–528(1)/एक–10–2019–12(34)/03 टीसी–I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)– प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4– सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0।
5– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0।
6– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ
7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ,उ0प्र0।
9– समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।